पत्रांक–4/क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01/2026–51 (4)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

दिनांक–29-01-2026

विषय – सभी राजस्व कर्मचारियों को 15 दिनों का अमानत का प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के कंडिका–11(i) में स्पष्ट प्रावधानित है कि *"राजस्व कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि हेतु राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 15 दिवसीय अमानत का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।"*

उक्त के आलोक में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना द्वारा तैयार किया गया 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें छः (06) दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं नौ (09) दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।

अतएव पाठ्यक्रम मॉड्यूल (Course module) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार सभी राजस्व कर्मचारियों को जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अमानत का प्रशिक्षण की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित की जाए एवं जाँच परीक्षा के उपरान्त समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से राजस्व कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्ति संबंधी प्रमाण पत्र (संलग्न विहित प्रपत्र में) प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

29/1/26

(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

D:\sec 4 backup\Vikash\Rev. 2026\Letter..docx

राजस्व कर्मचारी को जिला स्तर पर दिये जाने वाले अमानत प्रशिक्षण का सैद्धांतिक कक्षावार पाठ्यक्रम

दिन	10.00 से 11.30 AM	11.30 AM से 1.00 PM	1.00 से 2.00 PM	2.00 से 3.30 PM	3.30 PM से 5.00PM
	I	II	III	IV	V
पहला दिन	राजस्व तथा विशेष सर्वेक्षण का परिचय, राजस्व एवं सर्वेक्षण का संक्षिप्त इतिहास उपयोगिता	भूमि एवं भूमि स्वामित्व के प्रकार एवं राजस्व एवं सर्वेक्षण संबंधी शब्दावली	भोजनावकाश	राजस्व से संबंधी अधिनियमों की सामान्य जानकारी, बी0टी0 एक्ट	दाखिल--खारिज अधिनियम की सामान्य जानकारी
दूसरा दिन	भू–दान अधिनियम की सामान्य जानकारी	सिलिंग अधिनियम की सामान्य जानकारी		राजस्व से संबंधी अधिनियमों की सामान्य जानकारी, लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम एवं B.P.P.H.T अधिनियम	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली
तीसरा दिन	चकबंदी अधिनियम, भू–अर्जन अधिनियम की सामान्य जानकारी	कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड धार्मिक न्यास परिषद, मंदिर, मस्जिद मठ इत्यादि की भूमि के संबंध में।		विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम में त्रिसीमाना का सत्यापन	विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोंबस्त कार्यक्रम में ग्राम–सीमा का सत्यापन
चौथा दिन	परंपरागत मापी से फील्ड बुक बनाना	परंपरागत मापी से फील्ड बुक बनाना		फील्ड बुक से नक्शा बनाना	फील्ड बुक से नक्शा बनाना
पांचवा दिन	ETS का संचालन	ETS का संचालन		ETS का संचालन	ETS का संचालन
छठा दिन	पुरानी मापी प्रक्रिया, पारम्परिक विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की जानकारी	पुरानी मापी प्रक्रिया, पारम्परिक विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की जानकारी		पुरानी मापी प्रक्रिया, पारम्परिक विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की जानकारी	पुरानी मापी प्रक्रिया, प्लेनटेबुल से मापी की विधि

नोटः– सातवें दिन से पंद्रहवें दिन तक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राजस्व कर्मचारी को जिला स्तर पर दिये जाने वाले अमानत प्रशिक्षण का व्यावहारिक पाठ्यक्रम

दिन	विषय
सांतवा दिन	त्रि–सीमानों की पहचान एवं ग्राम–सीमा का निर्धारण
आंठवा दिन	परपंरागत विधि से मानचित्र एवं भूमि नापी की प्रक्रिया
नौवा दिन	परपंरागत विधि से मानचित्र एवं भूमि नापी की प्रक्रिया
दसवां दिन	परपंरागत विधि से मानचित्र एवं भूमि नापी की प्रक्रिया
ग्यारहवां दिन	परपंरागत विधि से मानचित्र एवं भूमि नापी की प्रक्रिया
बारहवां दिन	ई0टी0एस0 द्वारा नापी की प्रक्रिया
तेरहवां दिन	ई0टी0एस0 द्वारा नापी की प्रक्रिया
चौदहवां दिन	ई0टी0एस0 द्वारा नापी की प्रक्रिया
पंद्रहवां दिन	प्रशिक्षणार्थीवार भू–खण्डों की पारंपरिक एवं आधुनिक विधि से नापी की जाँच परीक्षा

104

प्रमाण पत्र संख्या.....................................

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

समाहरणालय.........................

प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री...पदनाम.................................जिला.................................
अनुमंडल.................................अंचल.............................के द्वारा समाहरणालय...................... में दिनांक ....
से....................तक पन्द्रह दिवसीय भू–मापी/अमानत का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

....

पत्रांक–4/क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01/2026–..................(4)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

ई–मेल **सेवा में,**

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

दिनांक–....................

विषय – **सभी राजस्व कर्मचारियों को 15 दिनों का अमानत का प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के कंडिका–11(i) में स्पष्ट प्रावधानित है कि *"राजस्व कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि हेतु राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 15 दिवसीय अमानत का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।"*

उक्त के आलोक में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना द्वारा तैयार किया गया 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें छः (06) दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं नौ (09) दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।

अतएव पाठ्यक्रम मॉड्यूल (Course module) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार सभी राजस्व कर्मचारियों को जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अमानत का प्रशिक्षण की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित की जाए एवं जाँच परीक्षा के उपरान्त समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से राजस्व कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्ति संबंधी प्रमाण पत्र (संलग्न विहित प्रपत्र में) प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01/2026–......................(4)/रा0, पटना–15,दिनांक–......

ई–मेल प्रतिलिपिः–सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि समाहर्त्ता द्वारा अमानत के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि को अपने अनुभवी पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह०/–
(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ई–मेल ज्ञापांक–4 / क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01 / 2026–........51........(4) / रा0, पटना–15, दिनांक–..29-01-2026

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1

(डॉ० महेन्द्र पाल)

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक–4/क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01/2026–..................(4)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

दिनांक–.....................

विषय – सभी राजस्व कर्मचारियों को 15 दिनों का अमानत का प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के कंडिका–11(i) में स्पष्ट प्रावधानित है कि *"राजस्व कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि हेतु राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 15 दिवसीय अमानत का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।"*

उक्त के आलोक में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना द्वारा तैयार किया गया 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें छः (06) दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं नौ (09) दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।

अतएव पाठ्यक्रम मॉड्यूल (Course module) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार सभी राजस्व कर्मचारियों को जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अमानत का प्रशिक्षण की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित की जाए एवं जाँच परीक्षा के उपरान्त समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से राजस्व कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्ति संबंधी प्रमाण पत्र (संलग्न विहित प्रपत्र में) प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–4/क्षे0स्था0 विविध (रा०कर्म०प्रशि०)–03–01/2026–51...........(4)/रा0, पटना–15,दिनांक–29-01-2026

प्रतिलिपिः–सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि समाहर्त्ता द्वारा अमानत के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि को अपने अनुभवी पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

(डॉ० महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।